

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 25/2023

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र पृथ्वी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र पृथ्वी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:- वादीगण

बनाम

1. पृथ्वी उर्फ पृथ्वी सिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सिलोचना पुत्री पृथ्वी पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा हाल गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा।
3. बैंक एसबीआई शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक छानीबडी तहसील भादरा।
4. बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधक निनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादी 1 व 2 श्री संदीप शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 146/130 के मु०न० 3 के कि०न० 23 की 0.2530है०, कि०न० 24/1 की 0.0760है०, कि०न० 24/2 की 0.1390है०, कि०न० 25 की 0.253है०, मु०न० 22 के कि०न० 20/2 की 0.0380है०, कि०न० 20/3 की 0.1640है० कि०न० 20/4 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता, कि०न० 21/1 की 0.1520है०, कि०न० 21/2 की 0.0630है०, मु०न० 23 के कि०न० 3/1 की 0.2280है० कि०न० 3/2 की 0.0250है० गैर मु० रास्ता, कि०न० 4/2 की 0.1140है० कि०न० 4/3 की 0.0760है० कि०न० 4/4 की 0.0250है० गैर मु० रास्ता कि०न० 5 की 0.2530है० कि०न० 6/1 की 0.1640है०, कि०न० 6/2 की 0.0380है० कि०न० 7, 8, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.2530है०, कि०न० 15/1 की 0.1770है०, कि०न० 15/2 की 0.0380है० कि०न० 16 ता 18, 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.2530है० कुल किला 29 की 4.7560है० बाराणी, 0.0630है० गैर मु० रास्ता कुल 4.8190है० तथा रोही मौजा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 50/54 के मु०न० 43 के कि०न० 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.2530है० नहरी कुल किला 19 की 4.8070है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण सुरेन्द्र व सुरेश को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वीसिंह को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 सिलोचना ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़।